कार्यालय– प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, झाँसी।

टेण्डर सूचना सूख्या– कय/पार्किंग/2018–19/2726

दिनांक26.05.2018

निविदा – सूचना

समस्त निविदादातओ को सूचित किया जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज ,झाँसी में वित्तीय वर्ष 2018–19 में चिकित्सालय के आंतरिक एवं वाह्य विभागो के सामने बने साईकिल/स्कूटर तथा कार पार्किंग व्यवस्था ठेका किये जाने हेतु टू बिड (तकनीकी विड एवं प्राइज विड अलग अलग लिफाफो में सील्ड बन्द) सिस्टम पर आधारित सील्ड बन्द निविदा दिनांक– 16.06.2018 समय 4:30 अपरान्ह तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय की बेवसाइड – www.mlbmcj.in पर देखी जा सकती है।

1	निविदा शुल्क –	रू. 1180–00 (समस्त कर सहित)
2	धरोहर राशि –	रू. 20000–00
3	निविदा प्रपत्र बिक्री दिनाक –	28.05.2018 से 15.06.2018 समय– 4:00 अपरान्ह कार्यालय के प्रत्येक कार्य दिवस में
4	सील्ड बन्द निविदा प्राप्ति दिनाक –	16.06.2018 समय 4:30 अपरान्ह तक (पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा)
5	सील्ड बन्द निविदा खोले जाने की दिनाक –	18.06.2018 समय– 3:30 अपरान्ह

प्रधानाचार्य,
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झॉसी।

निविदा प्रपत्र – 2018–19

साईकिल/स्कूलर/कार पार्किंग निविदा

टैक्नीकल विड (भाग–1)

आवश्यक शर्ते

1– निविदादाता को निविदा शुल्क/धरोहर धनराशि अनिर्वाय रूप से जमा करनी होगी।
2– निविदादाता को फर्म का आयकर रिटर्न/जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3– निविदादाता फर्म का किसी राजकीय संस्थान में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
4– आपूर्तिकर्ता फर्म को ब्लेक लिस्ट न होने, संलग्नक प्रपत्रो के जाली न होने का रू. 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
5– निविदादाता फर्म को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण एवं मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6– जो फर्म निविदा में वांछित अर्हताओ को पूर्ण नही करेगी उसकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
7– निविदादाता को निविदा स्वीकार होने के तुरन्त पश्चात, निविदा में स्वीकृत अधिकतम दर को एक मुस्त धनराशि को कार्यालय में डी.डी./बैकर्स चेक के माध्यम से जमा करानी होगी। तदपश्चात ही निविदादाता को कार्य का आदेश निर्गत किया जायेगा।
8– प्रधानाचार्य को निविदादायक की निविदा बिना कारण बताये समस्त एवं आशिक रूप से निरस्त करने तथा कार्य की मात्रा में आवश्यकतानुसार घटाने बढाने का अधिकार अधोस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा तथा निविदादायक द्वारा किसी भी न्यायालय मे चुनौती या वाद मान्य नही होगा। विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सभी को मान्य होगा।
9– स्वीकृत निविदादायक को रू. 100.00 के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध भरना होगा, जो निविदा का ही भाग समझा जायेगा।
11– निविदा की स्वीकृत अधिकतम दर, कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश की दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य रहेगी। इसके साथ ही यदि निविदादाता को यदि उक्त अवधि मे किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्य या अनैतिक कार्य में लिप्त होना पाया जाता है तो उक्त आदेश को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा और निविदादाता द्वारा जमा की गयी धनराशि को किसी भी दशा मे वापस नही किया जायेगा।
12– निविदादाता फर्म को वित्तीय भाव को स्पष्ट अंको एवं अक्षरो में संलग्नक–2 (As per proforma of Financial bid Annexure 2) के अनुरूप कम्प्यूटराइज्ड एवं स्वं प्रमाणित देनी होगी। हस्तलिखित वित्तीय निविदा मान्य नही होगी। हस्तलिखित वित्तीय निविदा होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
13– यदि तकनीकी लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र नही उपलब्ध होगें तो उक्त निविदादाता फर्म का वित्तीय लिफाफे/विड को नही खोला जायेगा तथा उस फर्म की निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
14– निविदादाता फर्म को निविदा शुल्क रू. 1180–00 (समस्त कर सहित) का डी0डी0 एवं जमानत /धरोहर राशि रू. 20000–00 का एफ.डी.आर. किसी राष्ट्रीकृत बैंक से निर्गत हो एवं प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज,झॉसी के पक्ष में देय हो , निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिर्वाय होगा।
15– तकनीकी विड खोले जाते समय, समिति द्वारा माँगे जाने पर, सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रो की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
16– निविदा दर अनुमोदित होने पर निविदाता को रू. 100.00 मूल्य के स्टाम्प पर, अनुबन्ध करना होगा, जो इसी निविदा का ही भाग माना जायेगा। इसके साथ ही निविदा फर्म को अनुमोदित अधिकतम दर की 10 प्रतिशत धनराशि का एफ.डी.आर. जो की प्रधानाचार्य महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झॉसी के पक्ष में बन्धक हो, जमा करना अनिर्वाय होगा।
17– निविदा के दर अनुमोदन के उपरान्त दर अनुबन्ध हेतु निविदादाता पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित प्रारूप पर यदि अनुबन्ध नही किया जाता है तो निविदा के साथ संलग्न धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा, तथा टेण्डर निरस्त मानते हुये, द्वितीय अनुमोदित अधिकत दर वाली निविदा फर्म से, समिति की संस्तुति पर नियमानुसार

अनुबन्ध किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
– वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा फार्म तथा कार्यालय में उपलब्ध निविदा फार्म में यदि कोई भिन्नता प्राप्त होती है तो कार्यालय में उपलब्ध निविदा फार्म (नियम एवं शर्तों) विधिक रूप से मान्य होगी।

19– निविदादाता, निविदा में अथवा निविदा के साथ अपनी कोई शर्त या विशिष्टता नही जोडेगा। सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी। निविदादाता को निविदा के नियमों एवं शर्तों को मान्य करना होगा।

20– निविदादाता दर अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को स्थानान्तरित/सबलेट नही कर सकेगा।

21– मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित/मा0 न्यायालय में विचाराधीन अपराधिक मामले अथवा अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादातओं को निविदा, प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी या इस सम्बन्ध में किसी अन्य माध्यम से, विभाग को सूचना प्राप्त होती है कि निविदादाता का कोई मामला मा0 न्यायालय मे विचाराधीन है या निविदादाता का कोई अपराधिक रिकार्ड है तो तत्काल निविदादाता की निविदा को निरस्त कर, विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

22– काई भी निविदादाता जो स्टेट बार कॉउन्सिल में पंजीकृत हो उसे निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी।

23– ऐसी फर्म जो किसी शासकीय/स्वायत्तशासी संस्था द्वारा दंडित हो/काली सूची में डाल दी गयी हो अथवा काली सूची में डालने की कार्यवाही लम्बित हो, निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी। ऐसी फर्मे जो मा0 न्यायालय द्वारा दंडित हो एवं मा0 न्यायालय में फर्म के विरूद्ध मामले लम्बित हो, निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी।

24– प्रधानाचार्य म0ल0बा0 मेडिकल कालेज, झॉसी को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा के आंशिक या पूर्ण रूप से

निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

25– निविदा की शर्तो एवं अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर प्रधानाचार्य महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज,झॉसी का निर्णय अन्तिम होगा, जो सभी को मान्य होगा, कोई भी न्यायिक विवाद केवल झॉसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दायर किया जा सकेगा।

26– यदि सरकार (केन्द्र/राज्य) द्वारा वर्तमान में प्रचलित टैक्स के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के टैक्स में बढोत्तरी या अन्य कोई टैक्स लागू किया जाता है तो निविदादाता/आपूर्तिकर्ता फर्म को स्वयं वहन करना होगा।

प्रधानाचार्य।
म0ल0बा0मेडिकल कालेजे,झॉसी।

घोषण – पत्र

(रू. 100.00 के नान जयूडिशियल स्टैम्प पर)

कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना सं.–..दिनांक–.................. में वर्णित नियम व शर्तो के अन्तर्गत में श्री...निवास.. निविदा का नाम–...,............. का कार्य करने हेतु दिनांक– 31.03.2018 या अलगे वित्तीय वर्ष के टेण्डर स्वीकृत होने तक के लिये अपनी दरें प्रेषित कर रहा हूँ। मैने धरोहर की राशि रू...........................✓राष्ट्रीकृत बैंक से बनी एफ.डी.आर. (डी.डी. बैंकर चैक पे आर्डर मान्य नही) ....है । जो प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, झाँसी के नाम बंधक है एवं टेण्डर कय का डी0डी0.................................... दिनांक–.............. .... संलग्न कर रहा हूँ। मेरे द्वारा नियम व शर्तो को पढ लिया गया है। मुझे टेण्डर नोटिस व उसके नियम व शर्ते मंजूर है। यदि मै निर्धारित समय के अन्दर निविदा की कार्यवाही इकरारनामा पूर्ण करने में असफल रहूँ तो मेरी धरोहर राशि को जब्त करके सरकारी कोष में जमा करा दिया जाये। यदि निविदा में या मेरी दरें अनुमोदित होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ होने से एक वर्ष तक कोई भी क्षति होती है तो मै क्षतिपूर्ति के लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। इन नियम व शर्तो के विरूद्ध मै किसी भी कार्यवाही करने के लिये अधिकारी नही रहूँगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झाँसी का फैसला मान्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता :–

निविदादाता का नाम :–

पत्र व्यवहार का पता :–

दिनांक :–

कार्यालय प्रधानाचार्य,महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी।

टेण्डर– साईकिल/स्कूटर पार्किंग निविदा

दर निविदा प्रपत्र वर्ष – 2018–19 (भाग–2)

प्रतिष्ठान का नाम :– ....

पूरा पता :– ....

फोन नं0 :– ....

क्र0 सं0	कार्य का नाम तथा पूर्ण विवरण	दरप्रति वाहन		विभागीय निविदा मूल्य रू0	सरकार को दी जाने वाली धनराशि एक वर्ष के लिये
	मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के आंतरिक एवं बाहय विभाग के सामने बने साइकिल/स्कूटर तथा चर्म रोग विभाग में बने साईकिल/स्कूटर पार्किंग का ठेका	वाहन स्टैण्ड पर रखने की निर्धारित दर		रू – 2,10,000–00 (एक वर्ष हेतु)	रू.......................... (निविदादाता द्वारा भरी जायेगी।)
		दिन में 7:00 AM to 7:00 PM	रात्रि में 7:01 PM to 6:59 PM		
1	साइकिल	रु. 3/–	5/–		
2	स्कूटर/मोटरसाईकिल	रु. 8/–	10/–		
3	कार	रु.15/–	20/–		

रूपये– शब्दो में –..

गवाह के हस्ताक्षर

निविदादायक के हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता–

फर्म का नाम पता एवं स्टाम्प–

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज, झाँसी।